मनीराम - भीमनासिंह मु.न. 186/15

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.[illegible].25	पत्रावली पेश। बहस अपीलार्थी सुनी गई। अपीलार्थी ने निर्णय हेतु लम्बित रखी गई। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 5.3.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5.3.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 186/2015

1 मनीराम पुत्र चिमनसिंह उम्र 47 साल जाति जाट निवासी ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 चिमनसिंह पुत्र हणुताराम (मृत)
1/1 धनकोरी देवी पत्नी चिमनसिंह
2 बीरबल पुत्र नाराणाराम (मृत)
2/1 मानसिंह
2/2 दिलीप
2/3 सुरेश
2/4 सहीराम
2/5 सोनु कुमार पुत्रगण स्व. बीरबल
2/6 विमला
2/7 कमला
2/8 निर्मला पुत्रियां स्व. बीरबल
2/9 मोहनी देवी पत्नी स्व. बीरबल
3 नौरंगसिंह
4 विरेन्द्र पुत्र स्व. पोखरमल
5 किसनाराम (मृत)
5/1 शिवकुमार
5/2 बाबूलाल पुत्रगण स्व. किसनाराम
5/3 पतासी
5/4 जिनकू
5/5 पूर्णी
5/6 सरबती
5/7 सोहनी पुत्रियां स्व. किसनाराम
6 जगदीश पुत्र भींवाराम (मृत)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 मु. कमला पत्नी दुलसिंह
8 मु. मोहनी पत्नी स्व. शुभकरण
8/1 गुलाब
8/2 भंवरी
8/3 मघी पुत्रियां मोहनी पत्नी शुभकरण
9 सुरजभान
10 प्रहलाद
11 शीशराम
12 राकेश
13 बलबीर
14 महेश पुत्रगण स्व. शुभकरण
15 संतरा पत्नी रामजससिंह (मृत)
15/1 सराफ पुत्री संतरा पत्नी रामजससिंह
15/2 अमृता पुत्री संतरा पत्नी रामजससिंह
16 रणधीर सिंह
17 महेश पुत्रगण रामजससिंह
18 मदनसिंह पुत्र हनुमानाराम (मृत)
18/1 दुर्गादेवी पत्नी स्व. मदनसिंह
18/2 नत्थूसिंह पुत्र मदनसिंह
18/3 कमला पुत्री स्व. मदनसिंह
18/4 सुनीता पुत्री स्व. मदनसिंह
19 मुखराम
20 राकेश पुत्रगण रामकुंवार
21 शारदा पत्नी हरिसिंह
22 विक्रम पुत्र हरिसिंह
23 सरबती देवी पत्नी रामचन्द्र
24 उर्मिला पत्नी बाबूलाल
25 रामप्रताप पुत्र चिमनसिंह
समस्त जाति जाट निवासीगण सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
26 प्रबंधक जरिये बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चूड़ी मियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
27 हल्का पटवारी ग्राम पंचायत चूडी मियान पटवार सर्किल बलारा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

28 उप पंजीयक तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
29 तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर कैम्प चूडी मियां पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आरएएस दावा संख्या 221/2013 उनवानी मनीराम बनाम चिमनसिंह आदि दिनांकित 05.06.2015

उपस्थिति :
1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 4/3/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 221/2013 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 166/3, 152, 165 वाके ग्राम सांखू का पेश किया। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष ने वरवक्त बहस प्रकरण रिमांड करने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ,प्र.)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर